

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 02.05.2019

आदेश

विभाग के स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध मा. राजस्थान उच्च न्यायालय/मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के द्वारा स्थगन आदेशों की पालना में निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पद	मा. न्यायालय/मा. अधिकरण में दायर अपील संख्या व स्थगन आदेश दिनांक	स्थानान्तरण कहां से कहां किया गया	विशेष विवरण
1	डा. गौरव मेहता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर 7141/2019 दिनांक 16.04.2019	दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 4 के द्वारा राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराटनगर, जयपुर में	मा. न्यायालय के आदेशों की पालना में मा. न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. गौरव मेहता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
2	डा. राजाराम शर्मा, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 805/2019 दिनांक 09.04.2019	दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 410 के द्वारा डा. रतनाराम बिडयासर, चिकित्सा अधिकारी का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डेह, जायल नागौर से बीसीएमओ जायल के पद पर एवं क्रम संख्या 411 के द्वारा डा. राजाराम शर्मा का बीसीएमओ जायल के पद से बीसीएमओ जैतारण, पाली के पद पर	मा. अधिकरण के आदेशों की पालना में डा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. राजाराम शर्मा को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान बीसीएमओ जायल, नागौर के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए डा. रतनाराम बिडयासर, चिकित्सा अधिकारी को बीसीएमओ जायल के पद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डेह जायल नागौर में पदस्थापित किया जाता है।
3	डा. रामचन्द्र रैगर, उप निदेशक	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 784/2019 दिनांक 10.04.2019	दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 80 के द्वारा बीसीएमओ नवलगढ, झुंझुनू से प्रभारी जिला औषधि भण्डार झुंझुनू के पद पर	मा. अधिकरण के आदेशों की पालना में डा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. रामचन्द्र रैगर, उप निदेशक को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान बीसीएमओ नवलगढ, झुंझुनू के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए पूर्व की भांति यथावत समस्त कार्य संपादित करेंगे।

उक्त आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : प.3(1)(7)।/निर्वा./2019/5529 दिनांक 01.05.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/विशिष्ट सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थगन आदेशों को शीघ्र वैकैट कराने की कार्यवाही करावें।
- 4- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन,
- 5- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट चिकित्सालय, राज.
- 6- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 7- संबंधित अधिकारी/कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव